"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी 2011—फाल्गुन 5, शक 1932

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-9/2011/वा.क. (आब.)/पांच (16).—राज्य शासन एतद्द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक-1) की धारा 33 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीधी भरती के तृतीय श्रेणी कार्यपालिक एवं लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को उक्त अधिनियम की धारा 33 में उल्लेखित नि:शक्त व्यक्ति हेतु पदों के आरक्षण संबंधी उपबंधों से आबकारी विभाग के कार्य के स्वरूप, यथा-अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु पेट्रोलिंग, गश्त, वाहन जांच, तलाशी, जप्ती एवं गिरफ्तारी, मदिरा स्कंध के भौतिक सत्यापन इत्यादि, विभिन्न मैदानी कार्य (Field work) को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग को छूट प्रदान करता है.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-9/2011/वा.क. (आब.)/पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-9/2011/वा.क. (आब.)/पांच (16), दिनांक 21-02-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 21st February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-9/2011/CT (Ex.)/V(16).—In exercise of the powers conferred by proviso of section 33 of the Nihshakt Vyakti (Saman Avasar Adhikar Sanrakchhan aur poorn Bhagidari) Adhiniyam, 1995 (No. 1 of 1996), the State Government hereby exempts to the Commercial Tax (Excise) Department from the provisions of section 33 of the said act, for post reservation of handicapped persons in direct recruitment of class three executive and through the Chhattisgarh Public Service Commission, considering the nature of work of Commercial Tax (Excise) department i.e., to control to illegal intoxicant the Petroling detection, checking, seizing, arresting, physical verification of liquor shop, recovery of excise revenue & other field work etc.

2. This notification shall come into force from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.